भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4548
दिनांक 20 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन

4548. डॉ॰ डी॰ रविकुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी छात्रावासों में रहने वाली स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला सदस्यों को मुफ्त नर्सिंग प्रशिक्षण देने का विचार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से मासिक स्वच्छता पद्धतियों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मासिक स्वास्थ्य स्कीम 2011 से लागू की जा रही है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार किशोरियों(10-19 वर्ष की आयु की) के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

स्कीम में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

- किशोरियों में मासिक स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
- मुख्यरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना और इस्तेमाल कराना।
- पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिनों को सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।
- मासिक स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए किशोरियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री(आशा) को निधियों की व्यवस्था।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से समग्र शिक्षा नामक स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। समग्र शिक्षा के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार, परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मासिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विभिन्न पहलों के लिए राज्य विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन किया जाता है, जिसमें सैनिटरी पैड वैंडिंग मशीनों और इनसिनरेटरों की स्थापना शामिल है।

(iii) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना(पीएमबीजेपी) के तहत औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सुविधा नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराता है। 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में जन-औषधि केंद्र पर ये सैनिटरी नैपकिन 2.50 रुपये प्रति पैड पर उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य एक राज्य विषय होने के कारण, गतिविधियों में सहयोग देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों या किसी निजी संगठन को शामिल करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्णय पर निर्भर है।

*****